**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3342 का उत्‍तर**

**वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने संबंधी रेलवे की मांग**

**3342. श्री टी. रतिनावेलः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने संसद के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्तीय शक्तियों में चार गुणा वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बढ़ोतरी की मांग करने के पीछे कारण यह है कि नई रेल पटरियों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की लागत विगत दस साल में कई गुणा बढ़ गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बढ़ोतरी की अगर अनुमति दी जाती है तो तेजी से निर्णय लेने के कारण परियोजना के समग्र कार्यान्वयन में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. और (ख) : वित्‍त मंत्रालय से अक्‍टूबर 2017 में संपर्क किया गया और अनुरोध किया गया कि विगत वर्षों में निर्माण कार्यों की लागत में सामान्‍य वृद्धि को देखते हुए, 2006 में निर्धारित ‘नई सेवा/सेवा का नया साधन’ के रूप में कार्यों/ परियोजनाओं की स्‍वीकृति की वित्‍तीय सीमा के पुनरीक्षण करने व इसे बढ़ाकर कम-से-कम 10 करोड़ रु. करने की आवश्‍यकता है।
2. और (घ): वित्‍त मंत्रालय को यह स्‍पष्‍ट किया गया कि आरंभिक सीमा में वृद्धि करने से रेलवे आगे फील्‍ड यूनिटों को त्‍वरित संरक्षा मामलों से संबंधित कार्यों/ परियोजनाओं को वार्षिक बजट के चक्र के लिए प्रतीक्षा किए बिना अनुमोदित करने में सक्षम हो सकेगी।

\*\*\*\*\*